न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

अपील पत्र संख्या ::— 8/2016

ज्ञानमल पिता कालू जी नाई निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता कन्हैयॉलाल नाई निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
   हाल मुकाम बिछोर तहसील बेगूँ
2. प्यारी पिता कालू जी नाई मृतक के बजाय :—

2/1 लादूलाल पुत्र स्व. मोहन जी नाई निवासी कंवरजी की खेडी
तहसील सिंगोली जिला नीचम (म.प्र.)

2/2 दीनबंधु पुत्र स्व. मोहनजी नाई निवासी कंवरजी की खेडी
तहसील सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)

2/3 श्रीमती सुगना पुत्री स्व. मोहनजी नाई निवासी कंवरजी की खेडी
तहसील सिंगोली हाल पत्नी रामेश्वरलाल जी निवासी झंवर का मेघपुरा
(झांतला) तहसील सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)

3. श्रीमान भूमिधारी जी तहसील साहब बेगूँ
4. ग्राम पंचायत ठुकराई द्वारा सरपंच महोदय , ग्राम पंचायत ठुकराई तह0 बेगूँ

उपस्थित ::— श्री निलेश कुमार चेचाणी
अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री इफ्तेखार अजमेंरी
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांक :—20.08.2025

आदेश विरूद्ध नामान्तरण संख्या 2456 निर्णय दिनांक 06.05.2016 द्वारा ग्राम पंचायत ठुकराई

अपीलान्ट का अपील पत्र इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या दो ने ग्राम ठुकराई तहसील बेगूँ में स्थित खाता संख्या 676 की 16 कीता आराजीयात में निहित अपना 1/5 हिस्सा व हक, हकत्याग द्वारा त्याग करने के आधार पर ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट संख्या दो प्यारीबाई का हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या एक ओम प्रकाश के नाम अंकित करने का आदेश दिया उसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवंत थ्यो के विपरीत है।

2— यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रकरण के तथ्यो को समझे बिना एवं सही स्थिति का अंकलन किये बिना यह आदेश पारित किया जो निरस्त होने योगय है।

3— यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपरोक्त खाते मे वर्णित सभी आराजीयात में निहित उसके 1/5 हक व हिस्से का हकत्याग विलेख मुझ अपीलांट के पक्ष में दिनांक 25.11.2010 को ही पंजीकृत दस्तावेज से कर चुकी है ऐसी अवस्था में दिनांक 13.04.2016 को उसके पास हक ही नहीं था ऐसी अवस्था में हकत्याग विलेख निष्पादित करने का उसे कोई अधिकार ही नहीं था, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत से धोके का सहरा लेकर यह गलत इन्तकाल खुलवाया है जो निरस्त होने योग्य है।

4— यह कि आदेश दिंनाक 6.05.2016 को होना बताया गया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 28.09.2016 को गांव में यह अफवाह सुनने पर की प्यारीबाई का हक रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम दर्ज करा लिया है इसकी जानकारी हुयी जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 29.09.2016 को प्राप्त हुई जिससे तीस दिन की अवधी में यह अपील प्रस्तुत है साथ ही धारा 5 कानूनन अधीनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

5— यह कि अन्य आपत्तिया बहस के वक्त प्रस्तुत की जायेगी।

6— यह कि अपील आवश्यक न्यायशुल्क एक रूपये पर मय सम्मन व नकलो के प्रस्तुत है।

7— यह कि नामान्तरण का प्रकरण होने से भूमिधारी जी व ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 6.05.2016 बाबत नामान्तरण संख्या 2456 ग्राम ठुकराई निरस्त फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

अपील पत्र न्यायलाय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पत्रावली में अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री इफ्तेखार अजमेंरी ने प्रस्तुत किया अपील पत्र पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ठुकराई द्वारा एक नामान्तरण संख्या 2456 को फैसल दिनांक 06.05.2016 को किया जिसमें 1/5 हिस्सा हक त्याग से प्यारी बाई ने ओमप्रकाश रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हक त्याग किया जो विधि विरूद्ध है, क्यो कि प्यारी ने 1/5 हिस्से का हकत्याग मुझ अपीलान्ट के पक्ष में पूर्व में ही किया था तो वापस हकत्याग क्यो किया गया इसका कोई अधिाकर नहीं है। पूर्व हकत्याग पंजीकृत दस्तावेज मुझ अपीलान्ट के पक्ष में था तो दुबारा यह हक त्याग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ठुकराई ने उक्त नामान्तरण गलत निर्णित किया है अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण एवं उस पर निर्णय निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्री अजमेंरी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि यह अपील पत्र परिसीमा के बाहर प्रस्तुत किया गया है, नामान्तरण निर्णय दिनांक 06.5.2016का तथा 06.10.2016 को पेश की गई है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है , यह अपील पत्र चलने योग्य नहीं है, न्यायालय में एक राजस्व वाद विचाराधीन था हक हिस्सा निर्धारित हेतु न्यायालय का स्थगन नहीं। अपील पत्र एक फिस्कल प्रोसीडिंग है, नोर्मल सूट सिविल न्यायालय में करते हुए अपना हक प्राप्त करना चाहिए था ,अपील पत्र से हक प्राप्त नहीं होता है, अपील पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत है, अपील के फेक्ट चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है, अपील में कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किये है। अपीलान्ट को सूट में जाना चाहिए था नामान्तरण एक विधिक प्रकिया है । अतः अपील अपीलान्ट की खारिज फरमाई जावें।

पुनः बहस में अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि जानकारी होते हुए 30 दिन में अपील पत्र प्रस्तुत किया है तथा धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता रेस्पो. ने कहा कि पूर्व में खुला नामान्तरण खारिज किया गया है, प्रस्तुत वादपत्र में काउन्टर क्लेम भी है,

पत्रावली मे अपील पत्र पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर आर टी 2025 पेज 115 से 119 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 2456 निर्णित दिनंका 06.5.2016 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत ग्राम पंचायत ठुकराई के बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर का भी अवलोन किया गया। उक्त नामान्तरण संख्या 2456 ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत बैठक में प्रस्ताव लेते हुए निर्णित किया गया है। जिसका अंकन प्रस्ताव संख्या 3 में अंकित किया है। प्रस्तुत नामान्तरण के अवलोकन से पाया कि प्यारीबाई द्वारा ओम प्रकाश के पक्ष में अपने 1/5 हिस्से का हक त्याग जरिये उप पंजीयन बेगूँ दिनांक 13.4.2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द कमांक 135 के पृष्ठ संख्या 77 पर पंजीबद्ध किया होने से उक्त नामान्तरण खोला गया है, जो सही खोला गया है ।

यदि अपीलान्ट के पक्ष में पूर्व में कोई हक त्याग किया हुआ था तो उन्हे नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करते हुए अपना हक प्राप्त करना चाहिए था, हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सो पूर्णतया सहमत है कि नामान्तरण अपील एक फिक्सल प्रोसींडिंग मात्र है जिसमें हक अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समस्त अवलोकन पाया जाता है कि नामान्तरण संख्या 2456 जो कि पंजीकृत हकत्याग से खोला जाकर सरपंच ग्राम पंचायत ठुकराई द्वारा दिनांक 06.05.2016 को निर्णित किया वह नियमानुसार सही निर्णित किया है। अपीलान्ट का अपील पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतःअपील अपीलान्ट विरूद्ध नामान्तरण संख्या 2456 निर्णित द्वारा ग्राम पंचायत ठुकराई दिनांक 06.05.2016 की अपील अपीलांनट के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा अपील खारिज की जाती है।

आदेश दिनांक 20.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,बेगूँ
जिला चितौडगढ(राज.)